समाहरणालय, मुज़फ्फ़रपुर

(जिला भूमि सुधार प्रशाखा)

-: आदेश :-

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में बिहार सरकार की भूमि विभिन्न मदों यथाः भूदान, भू–हदबंदी, गैरमजरूआ मालिक/आम वासगीत पर्चा, महादलित परिवारों को क्रय–नीति के तहत् दी गई गृह–स्थल से संबंधित वितरित भूमि की सूची विहित प्रपत्र–I में जिला वेबसाईट पर प्रकाशित कर दी गयी है। उपरोक्त कोटि के कोई भी लाभुक, यदि अपनी भूमि से बेदख़ल हैं, तो उन्हें दख़ल दिलाने हेतु दख़ल–देहानी का विशेष शिविर पंचायतवार तिथि, स्थान के साथ निर्धारित की जाती है। निर्धारित तिथि एवं स्थान का नाम पंचायतवार जिला के वेबसाईट पर प्रकाशित कर दी गयी है। निर्धारित तिथि को विहित स्थल पर अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष, हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं अमीन प्रपत्र–1 के साथ भी उपस्थित रहेंगे। यदि कोई लाभुक उपरोक्त भूमि से बेदख़ल हैं या बेदखली का अपना दावा पेश करते हैं, तो तत्काल सम्यक् जांचोपरान्त दख़ल–देहानी की कार्रवाई सम्पन्न करेंगे तथा कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन प्रपत्र–2 में डालकर जिला को प्रतिवेदित करेंगे।

मुज़फ़्फ़रपुर जिला–अन्तर्गत ऐसे सभी लाभुकों से अनुरोध है कि यदि सरकार द्वारा प्रदत किसी मद की भूमि से बेदख़ल हैं, तो निर्धारित तिथि को अपने पंचायत में रेखांकित नियत स्थल पर ससमय स्वयं उपस्थित होकर अपनी शिकायत दर्ज़ करा सकते हैं। अभियान के अन्तर्गत उन्हें तत्काल दख़ल–देहानी दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। बेदख़ली संबंधित आवेदन पूर्व में भी अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पूर्वी/पश्चिमी, अनुमण्डल पदाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी मुज़फ्फ़रपुर के कार्यालय में अपनी सुविधानुसार समर्पित कर सकते हैं।

तद्नुसार सभी अंचलाधिकारी जिला मुज़फ़्फ़रपुर को निदेशित किया जाता है कि निर्धारित तिथि एवं स्थल पर संबंधित अमीनं, राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं थानाध्यक्ष के साथ स्वयं उपस्थित रहकर दख़ल–देहानी की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यदि उक्त निर्धारित तिथि को राजपत्रित अवकाश हो तो शिविर अगले कार्यदिवस को करेंगे तथा कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करेंगे। सभी प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी इस कार्य हेतु वरीय निरीक्षण पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। बेदख़ली से संबंधित विभागीय प्रपत्र–2, जो काफी पूर्व में ही उपलब्ध कराये जा चुके हैं–इस विहित प्रपत्र में अंचल अधिकारी उसी दिन संध्या 5:00 बजे अपराह्न् तक जिला भूमि सुधार प्रशाखा, मुज़फ़्फ़रपुर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि जिला के वेबसाईट पर अपलोड कराया जा सके।

अनुलग्नक : कार्यक्रम की विवरणी संलग्न।

ह0 –

समाहर्त्ता,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 2085/भू0सु0मुज0 दिनांक 10/12/2015

प्रतिलिपि :– सभी अंचलाधिकारी, जिला मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा कार्यक्रम संबंधी सूचना अपने–अपने अंचल से संबंधित थानाध्यक्ष/ सरपंच/मुखिया को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

प्रतिलिपि :– स्थानीय विधायक /संबंधित प्रखंड के माननीय प्रमुख एवं एन.जी.ओ. को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे।

प्रतिलिपि :– सभी थानाध्यक्ष, जिला मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं दो दैनिक समाचार पत्रों में सार्वजनिक प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी मुज0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जिला मुज0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी पुलिस उपाधीक्षक, जिला मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पूर्वी/पश्चिमी मुज0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को भवदीय पत्रांक 1146(7)/रा. दिनांक 30.09.15 के आलोक में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

समाहर्त्ता,
मुजफ्फरपुर।